नईदुनिया

संपादकीय

अपने भीतर के रावण को मारना होगा

दशहरा केवल त्योहार नहीं, एक चेतना है

दशहरा *केवल रावण का पुतला जलाने का दिन नहीं, बल्कि इस शाश्वत सत्य को याद करने का अवसर है कि अंततः विजय सत्य और अच्छाई की ही होती है। भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके सिद्ध किया था कि ज्ञान और शक्ति के बावजूद अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। आज आवश्यकता केवल बाहर के रावण को जलाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी बुराइयों को पहचानने की भी है।*

त्रेतायुग का रावण दस सिर वाला था, लेकिन आज का रावण अनेक रूपों में हमारे सामने है। कभी बच्चियों के साथ अपराध, कभी महिलाओं पर अत्याचार, कभी दहेज प्रथा, तो कभी भ्रष्टाचार, नशे और जाति-धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के रूप में। आज का रावण हमारे घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और समाज के साथ हमारे मन में भी छिपा है।

बच्चियों के साथ होने वाले अपराध किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। भगवान श्रीराम ने माता सीता के अपहरण के विरुद्ध संघर्ष किया था, लेकिन आज भी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। केवल कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। उनका प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय और परिवारों में अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। महिलाओं को देवी कहकर पूजने के बजाय उन्हें समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा देना होगा।

नशा भी आधुनिक समाज का एक बड़ा रावण है। शराब और मादक पदार्थ युवाओं के भविष्य के साथ परिवारों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता, खेल, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, ताकि युवा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें।

दहेज प्रथा, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और अंधविश्वास जैसी कुरीतियां भी समाज की प्रगति में बाधक हैं। भगवान श्रीराम के जीवन से समरसता और मानवीय सम्मान की प्रेरणा मिलती है। जब हम मनुष्य की पहचान उसके जन्म के बजाय कर्म से करेंगे, तभी सामाजिक भेदभाव की दीवारें कमजोर होंगी।

बुराइयों को समाप्त करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन सामाजिक सोच बदलने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। माता-पिता बच्चों को संस्कार दें, शिक्षक नैतिकता सिखाएं और नागरिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं। समाज की चुप्पी कई बार बुराई को बढ़ने का अवसर देती है।

दशहरा हमें सिखाता है कि सत्य की विजय के लिए संघर्ष आवश्यक है। इस पर्व पर अहंकार, लालच, क्रोध, हिंसा और अन्याय को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। केवल लकड़ी और कागज के रावण को जलाने से समाज की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। जब हम अपने भीतर के रावण को मारेंगे, तभी दशहरे का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा और अच्छाई की विजय सार्थक बनेगी।

आजकल

आपदा प्रबंधन से मौतों में 65 फीसदी की कमी, पर खतरा टला नहीं

जिनेवा से आई संयुक्त राष्ट्र की आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी (यूएनडीआरआर) की रिपोर्ट ने दुनिया को राहत दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2025 के बीच आपदाओं से होने वाली मौतों में 65 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। बेहतर पूर्व चेतावनी, समय पर निकासी और प्रभावी आपदा प्रबंधन से लोगों की जान बच रही है। यह विज्ञान और प्रशासन की साझा उपलब्धि है। लेकिन हर साल करीब 10 करोड़ लोग आपदाओं से प्रभावित होते हैं। यानी मौतें कम हुई हैं, पर बर्बादी अब भी जारी है।

मौतों में कमी का अर्थ यह नहीं कि आपदा प्रबंधन की चुनौती समाप्त हो गई है। किसान की फसल बह जाती है, मजदूर का घर ढह जाता है और छोटे दुकानदार का सामान बर्बाद हो जाता है। इसलिए अब जान बचाने के साथ आजीविका बचाने पर भी ध्यान देना होगा।

भारत के लिए चुनौती और बड़ी है। देश की 59 प्रतिशत जमीन भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में है, जबकि 12 प्रतिशत जमीन बाढ़ के जोखिम में है। लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा पर चक्रवात और सुनामी का खतरा बना रहता है। हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने, भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने की घटनाएं भी चिंता बढ़ाती हैं। जोशीमठ का धंसना और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ अनियंत्रित विकास के गंभीर परिणामों की याद दिलाते हैं।

ओडिशा ने आपदा प्रबंधन की अहम सीख दी है। 1999 के महाचक्रवात में करीब दस हजार लोगों की मौत के बाद राज्य ने निकासी योजनाओं और चक्रवात आश्रय स्थलों पर जोर दिया। 2019 में चक्रवात फानी के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

चेतावनी स्थानीय भाषा में पहुंचनी चाहिए। भवन निर्माण नियमों का पालन हो, प्राकृतिक सुरक्षा कवच बचाए जाएं तथा फसल और मकान बीमा के साथ प्रभावितों को रोजगार सहायता मिले।

मौतों में 65 प्रतिशत की कमी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जंग अभी बाकी है। भारत को ओडिशा के अनुभवों से सीखकर आपदा प्रबंधन को व्यापक बनाना होगा। तभी हम मौतों के साथ बर्बादी और दर्द भी कम कर सकेंगे।

हमारे बीच बसी बुराइयों को जलाना होगा

दशहरा केवल परंपरा नहीं, आत्मा की शुद्धि का पर्व

दशहरा हर वर्ष आता है और हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके यह प्रमाणित किया था कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। विजय अंत में सत्य की ही होती है।

लेकिन आज प्रश्न यह है कि क्या हमने इस संदेश को केवल कथा तक सीमित कर दिया है? क्या हम केवल एक पुतला जलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं? यदि ऐसा है, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि रावण केवल लंका में नहीं था, वह आज हमारे बीच भी बसा हुआ है और अधिक खतरनाक रूप में मौजूद है।

इसलिए इस बार दशहरे का अर्थ बदलना होगा। केवल मैदान में खड़े पुतले को नहीं, बल्कि हमारे बीच बसी रावण रूपी बुराइयों को जलाना होगा। त्रेतायुग का रावण दिखाई देता था। उसका महल था, उसकी सेना थी और उसका अहंकार सामने था, लेकिन आज का रावण अदृश्य है। वह हमारे घरों, स्कूलों, कार्यालयों और मन में बैठा है।

हमारे बीच बसा पहला रावण बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के रूप में दिखाई देता है। जिस समाज में छोटी-छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उसे सभ्य कैसे कहा जा सकता है? महिलाओं पर अत्याचार, दहेज के लिए प्रताड़ना, कार्यस्थल पर शोषण, सड़क पर असुरक्षा और समाज में भेदभाव भी इसी रावण के अलग-अलग चेहरे हैं। हम नवरात्रि में शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन उसी शक्ति का अपमान होते हुए देखते हैं। यह पाखंड नहीं तो क्या है?

नशा भी हमारे युवाओं को निगल रहा है। युवा, जो देश का भविष्य हैं, नशे की गिरफ्त में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नशे के कारण चोरी, लूट और हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर नफरत, दहेज के कारण हत्याएं और अंधविश्वास के नाम पर शोषण जैसी बुराइयां भी समाज को भीतर से खोखला कर रही हैं।

हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन अगले दिन से वही सब शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने पुतला जलाया है, प्रवृत्ति नहीं। रावण ज्ञानी, विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। आज हमारे समाज में भी धन, पद और जाति का अहंकार बढ़ रहा है। इसलिए दशहरे पर बाहर के रावण के साथ भीतर के अहंकार को भी जलाना होगा।

अक्सर हम सोचते हैं कि सरकार कानून बनाए और पुलिस सख्ती करे, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। सरकार कानून बना सकती है और पुलिस अपराधियों को पकड़ सकती है, लेकिन अपराध की मानसिकता को बदलने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। कानून अपराध के बाद कार्रवाई करता है, जबकि जागरूक समाज अपराध रोकने में योगदान दे सकता है।

सामाजिक संगठनों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, नशामुक्ति और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने चाहिए। मोहल्लों में बाल सुरक्षा समितियां बनाई जाएं, महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाए और युवाओं को खेल, संस्कृति तथा रोजगार से जोड़ा जाए। दहेजमुक्त विवाह को प्रोत्साहित करने, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रयास भी जरूरी हैं। रावण को मारने के लिए राम को सेना तैयार करनी पड़ी थी। आज भी बुराइयों के विरुद्ध समाज को एकजुट होना होगा। युवाओं को राम के आदर्शों पर चलने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लेना होगा। दशहरा केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई समाप्त करने का संकल्प है। इस बार रावण का पुतला जलाते समय बच्चियों के विरुद्ध अपराध करने वाली मानसिकता, महिलाओं का अपमान करने वाली सोच, नशे के कारोबार और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प भी लें। यही सच्चा दशहरा होगा, यही राम के आदर्शों का पालन और यही बुराई पर अच्छाई की वास्तविक विजय होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सौ करोड़ की सड़क नहीं, भविष्य की राह

जबलपुर, भोपाल और इंदौर के बीच बनेगा उम्मीदों का गलियारा

जबलपुर में रक्षा और इंजीनियरिंग, भोपाल में प्रशासन और तकनीक तथा इंदौर में व्यापार और उद्यमिता की मजबूत संभावनाएं हैं। औद्योगिक कॉरिडोर इन तीनों शहरों की क्षमताओं को एक साथ जोड़ सकता है। उद्योगों के सड़क के नजदीक स्थापित होने से परिवहन लागत घटेगी और माल तेजी से बाजार तक पहुंचेगा। इससे कृषि उत्पादों को भी प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाना आसान होगा।

मध्यप्रदेश अब केवल देश का मध्यवर्ती प्रदेश नहीं रहा, बल्कि विकास का केंद्र बनने की तैयारी में है। सरकार ने जबलपुर, भोपाल और इंदौर के बीच मौजूदा सड़कों के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने का फैसला लिया है। इस पर सौ करोड़ रुपये की शुरुआती राशि से काम शुरू होगा और आने वाले तीन वर्षों में तीन लाख करोड़ रुपये तक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यह केवल सड़क किनारे उद्योग लगाने की योजना नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास का नया नक्शा है।

इस गलियारे से छह लाख युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही गई है। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, बल्कि छह लाख परिवारों के सपनों से जुड़ा है। आज मध्यप्रदेश का युवा पढ़-लिखकर नौकरी के लिए भटकता है। यदि उसके घर के पास ही उद्योग लगें, तो उसे रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य पहले वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना और धीरे-धीरे इसे तीन लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। उद्योगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कारखाने लगेंगे तो परिवहन, व्यापार और सेवाओं से जुड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी।

जबलपुर में रक्षा और इंजीनियरिंग, भोपाल में प्रशासन और तकनीक तथा इंदौर में व्यापार और उद्यमिता की मजबूत संभावनाएं हैं। औद्योगिक कॉरिडोर इन तीनों शहरों की क्षमताओं को एक साथ जोड़ सकता है। उद्योगों के सड़क के नजदीक स्थापित होने से परिवहन लागत घटेगी और माल तेजी से बाजार तक पहुंचेगा। इससे कृषि उत्पादों को भी प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाना आसान होगा। सरकार ने तीस दिनों में एक विशेष कंपनी के गठन की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और कंपनी भूमि की पहचान, प्रबंधन, अर्जन तथा विकास का काम करेगी। इससे औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

इस कॉरिडोर में छोटे और मझोले उद्योगों को भी पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में निवेश से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को इन उद्योगों से जोड़ने पर युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा।

किसानों के लिए भी यह कॉरिडोर लाभकारी साबित हो सकता है। सड़क किनारे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज बनने से किसान अपने उत्पाद सीधे उद्योगों को बेच सकेंगे। इससे कृषि और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।

हालांकि, निवेश आकर्षित करने के लिए केवल जमीन और सड़क पर्याप्त नहीं हैं। निर्बाध बिजली, पर्याप्त पानी, बेहतर इंटरनेट, परिवहन सुविधाएं, श्रमिकों के लिए आवास और ट्रक चालकों के लिए विश्राम स्थल भी जरूरी हैं। बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी, तभी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

यह कॉरिडोर केवल उद्योगों का गलियारा नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर की संभावनाओं का रास्ता भी बन सकता है। सौ करोड़ रुपये की शुरुआती राशि से तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य बड़ा है। इसे हासिल करने के लिए सरकार, किसान, युवा और उद्योगपतियों को साथ लेकर चलना होगा। यदि यह योजना समय पर और प्रभावी ढंग से पूरी हुई, तो मध्यप्रदेश देश की आर्थिक धुरी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

भोपाल की गलियों से लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज

हर घर पर नजर, कोई नागरिक छूट न जाए

'सुनो भैया, आपका वोट जुड़ा क्या?' भोपाल की किसी गली में दोपहर को दरवाजा खटखटाता एक व्यक्ति हाथ में रजिस्टर लेकर पूछता है, 'घर में कितने वोट हैं, सबके नाम जुड़े हैं क्या?' यह आवाज छोटी लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज यही है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों यही आवाज गूंज रही है। कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे, इस संकल्प के साथ 71,930 बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जा रहे हैं। उनका एक ही नारा है, हर वोट जरूरी।

यह अभियान कागजों का नहीं, बल्कि जनसंवाद का अभियान है। आपका नाम ही आपकी ताकत है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में भागीदारी की पहली शर्त यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। यदि नाम ही सूची में नहीं है, तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए निर्वाचन आयोग का संदेश है, हर घर पर नजर, कोई छूट न जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार आपके घर पर नजर रख रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे।

बीएलओ आपके पास तीन फॉर्म लेकर आता है और आसान भाषा में प्रक्रिया समझाता है। यदि घर में कोई नया सदस्य आया है या बेटा-बेटी 18 साल के हो गए हैं, तो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म छह भरना है। यदि कोई व्यक्ति अब उस पते पर नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो गई है, तो नाम हटाने के लिए फॉर्म सात भरना है, ताकि मतदाता सूची शुद्ध रहे। वहीं, नाम में गलती, फोटो में सुधार, पता बदलने या अन्य जरूरी संशोधनों के लिए फॉर्म आठ भरा जा सकता है। प्रक्रिया की जानकारी होने से पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका कम हो सकती है।

इस अभियान का संवेदनशील पहलू बेटी और बेटे के मताधिकार से जुड़ा है। अक्सर बेटी की शादी के बाद उसका नाम मायके की मतदाता सूची में रह जाता है और नए निवास स्थान पर नहीं जुड़ पाता। इससे वह मतदान के अधिकार से वंचित हो सकती है। इसी तरह बेटा 18 साल का हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ता। वह सोचता है कि वोट देकर क्या होगा, जबकि पहली बार मतदान करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का अहसास कराता है। इसलिए परिवारों को चाहिए कि वे पात्र सदस्यों के नाम समय पर जुड़वाएं और निवास बदलने पर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।

बीएलओ कोई अनजान अधिकारी नहीं, बल्कि आपके बीच रहने वाला शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पटवारी हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने उसे यह जिम्मेदारी इसलिए दी है, ताकि वह स्थानीय लोगों तक पहुंच सके और उनकी समस्याएं समझ सके। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी घर को छोड़ा न जाए और कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। यह केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी है।

इस अभियान में नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बीएलओ के आने पर उसे सही जानकारी दें, परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम जांचें और जरूरत पड़ने पर संबंधित फॉर्म भरें। पड़ोसियों को भी मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, जब हर घर पर नजर होगी, तभी हर वोट की कदर होगी। आपका एक वोट केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि आपके परिवार का कोई भी पात्र सदस्य मतदाता सूची से वंचित न रहे। संदेश सीधा है, हर घर पर नजर, कोई छूट न जाए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

क्या आजमाने लायक है शिक्षा में एआई आधारित सुधार

पेपर लीक से भरोसा लीक तक

नि:संदेह, करियर से जुड़ी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य का निर्धारण करती हैं। ऐसे में परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी पर परीक्षार्थियों का भरोसा कायम रहना बेहद जरूरी है। हाल के दिनों में देशभर में युवा असंतोष के जो स्वर मुखर हुए, उनकी शुरुआत नीट परीक्षा प्रणाली की विफलताओं से हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र आदि राज्यों में परीक्षा संबंधी विसंगतियों के चलते परीक्षार्थी आंदोलन करते नजर आए।

जब युवाओं के मन में अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं पैदा हुईं, तो उनके सड़कों पर उतरने का सिलसिला तेज हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उपजे अविश्वास को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति का प्रमुख बनाया था। हाल ही में नीलेकणि ने परीक्षा सुधार के लिए तकनीक पर आधारित एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिसे उपयोगी पहल माना जा रहा है।

दरअसल, नीलेकणि ने पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित नया तरीका सुझाया है। एआई का प्रयोग करके अंतिम दौर में प्रश्नपत्र तैयार करने का उनका सुझाव ऐसी व्यवस्था में सुधार का अवसर देता है, जिसे परीक्षार्थियों के भरोसे की सख्त जरूरत है। उनका तर्क है कि अंतिम समय में एक बड़े प्रश्न बैंक से पेपर तैयार करने पर प्रश्नपत्र लीक करने से जुड़े अनैतिक मुनाफे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

निस्संदेह, उनके इस सुझाव और देशभर में कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाने की बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तकनीकी नवाचार के जरिये प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके साथ संस्थागत जवाबदेही भी जरूरी है। ग्रामीण और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। आज देश में पहले से ही डेढ़ लाख टेस्टिंग सेंटर मौजूद हैं, लेकिन लाखों उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता अब भी चुनौती है। यदि एआई की मदद से प्रश्नपत्र तैयार करने का सुझाव तार्किक है, तो उसे लागू करने की कार्ययोजना भी व्यावहारिक होनी चाहिए।

यदि परीक्षा से ठीक पहले सुरक्षित तरीके से प्रश्न चुने जाएंगे, तो परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की आशंका कम हो सकती है। इसके बावजूद ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र बनाना भी जरूरी है, जो जांच से जुड़ी गलतियों, पक्षपात और हेराफेरी को रोक सके। यानी तकनीक के साथ मानवीय निगरानी भी जरूरी होगी।

एआई का उपयोग केवल प्रश्नपत्र बनाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित सुधारों की उपयोगिता को व्यापक संदर्भ में समझना होगा। इसकी मदद से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। हर छात्र की सीखने की गति अलग होती है। कोई गणित में तेज होता है, तो कोई भाषा में कमजोर। एआई आधारित मंच छात्र की कमजोरियों को पहचानकर उसे उसी के अनुसार अभ्यास करा सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जिनके पास अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता सीमित है। मूल्यांकन में भी एकरूपता आ सकती है। शिक्षकों द्वारा कॉपियां जांचने में थकान, पूर्वाग्रह और समय की सीमाओं का प्रभाव पड़ सकता है। एआई तेजी से मूल्यांकन में सहायता कर सकता है। इसी तरह उपस्थिति दर्ज करने और रिपोर्ट तैयार करने जैसे प्रशासनिक कार्यों का बोझ घटाकर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए अधिक समय मिल सकता है।

हालांकि, एआई के उपयोग से जुड़ी चिंताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत के कई जिलों में इंटरनेट की स्थिर उपलब्धता अब भी चुनौती है। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा ही एकमात्र विकल्प बन गई, तो ग्रामीण विद्यार्थी शहरी विद्यार्थियों से पीछे रह सकते हैं। डेटा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई प्रणालियों में विद्यार्थियों का व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखना होगा, ताकि उसके दुरुपयोग की आशंका न रहे। साथ ही, एआई शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता। शिक्षा केवल सूचना नहीं, बल्कि संस्कार, संवाद और सहानुभूति भी है, जिन्हें विकसित करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इसलिए एआई की मदद से प्रश्नपत्र तैयार करने का सुझाव तार्किक है और शिक्षा में एआई आधारित सुधार आजमाने लायक हैं, लेकिन इसका अर्थ आंख मूंदकर अनुकरण करना नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह पायलट परियोजना के रूप में कुछ जिलों में एआई आधारित प्रश्नपत्र निर्माण और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की शुरुआत करे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था बनाए और शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण दे।

तकनीक तभी उपयोगी है, जब वह भरोसा बढ़ाए, घटाए नहीं। पेपर लीक रोकने के लिए एआई एक औजार है, अंतिम समाधान नहीं। संस्थागत ईमानदारी, जवाबदेही और विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता के साथ यदि एआई इस समस्या के समाधान में मदद करता है, तो उसे जरूर आजमाना चाहिए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)